Sale of usable items as scrap

*183. SHRI K. KALAVENKATA RAO:†
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that mafia in many places manage to force the railway officials to sell usable items at scrap rates; and

(b) if so, the steps taken in preventing connivance between the mafia and the officials?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Sir, I would like to know from the hon. Minister what happened to the inquiry in respect of the 15 wood-cutting machines imported from the U.K. by Western Railways and stored at a workshop in Parel, and the EMU car shed in Kandivli, which were sold as scrap for Rs. 6 crores in September, 2000, in connivance with the RPF who were on duty, without following the due procedure or inviting any tenders; and whether the Government propose to punish the guilty officers, with an exemplary, deterrent, punishment.

श्री नीतीश कुमार: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जिन दो घटनाओं का उल्लेख किया है मैं उनकी पूरी जांच कराऊंगा। इन्होंने मूल प्रश्न पूछा है यूजेबल आइटम को स्क्रैप के रूप में बेचने का, तो अभी तक जितने विजिलेन्स चैक्स कराए गए हैं, और इस मामले में विजिलेन्स चैक्स को इंटेसिफाई भी किया गया है लेकिन इस प्रकार की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। जो स्क्रैप डिस्पोजल है उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। इन नियमों के हिसाब से ही स्क्रैप का डिस्पोजल होता है, ऑक्शन किया जाता है, डिलीवरी दी जाती है। हालांकि इसमें कई जगह गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रही हैं और उसके लिए काफी विजिलेन्स चैक्स भी कराए गए हैं और कई जगहों पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri K. Kalavenkata Rao.

यह एक ऐसा मसला है जिस पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कई यूजफुल आइटम्स स्क्रैप के रूप में बेचे जाते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं आई है। लेकिन रेलवे को अधिकार है कि अगर कोई चीज आब्सलीट हो जाए, वह इसी प्रकार नाहक पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं होता तो उसके लिए एक कमेटी बना दी है। वह इन सब बातों का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और उसके लिए उसको अधिकार दिया हुआ है। अंत में वह जनरल मैनेजर के पास जाता है। अगर 25 हजार रुपए से ज्यादा का वह माल है तो वह जनरल मैनेजर के लेवल पर उस स्क्रैप के बारे में डिसीजन होता है। लेकिन स्क्रैप के सिलसिले में विजिलेंस का चेक जब हुआ तो कई प्रकार की शिकायतें जरूर सामने आईं। उन शिकायतों को ध्यान में रखकर इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और इस ओर हमने कुछ कदम भी उठाए हैं।

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Sir, my second supplementary is whether the Government proposes to set up a computerised system for all the materials to be sold so that the usable items will not be sold at scrap rates, with the connivance of the mafia. I would like to know what other steps the Government is taking to keep the mafia out of the scrap disposal sales.

श्री नीतीश कुमार: जैसा मैंने पहले कहा है इस प्रकार की बात अभी तक विजिलेंस चैक के दौरान नहीं आई है कि कोई यूजफुल आइटम स्क्रैप के रूप में रखा जाता है। लेकिन इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। अब जो लॉट का फार्मेशन होता है, उसमें कई गड़बड़ियां हैं जैसे किसी ने कोई सामान उठा लिया। अभी हाल में दिल्ली की बगल, तुगलकाबाद के शेड में एक ऐसा मामला पकड़ा गया। जितना वजन उसमें दिखलाया जा रहा था उससे काफी ज्यादा वजन वह ले जा रहा था। वह पकड़ा गया। कार्यवाही हो रही है। यह भी घटना अभी हाल में घटी। इसके बाद हमने कुछ कदम उठाए। जो स्क्रैप होता है उसमें जो रेलवे का रिन्युअल करते हैं, यह जो पीवे मैटीरियल है, वह सारा रिलीज्ड होता है, तब रिन्युअल किया जाता है और फिर वह स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है। फुल स्क्रैप जो रेलवे का बिकता है उसका 50 परसेंट हिस्सा जो रिलीज्ड रेल है, पीवे मैटीरियल है, वह होता है और दूसरा कोई 35 परसेंट हिस्सा उसका है, जो डिफरेंट डिपो वर्कशाप में फैरस और नान-फैरस मैटीरियल होता है, वह स्क्रैप के रूप में जाता है। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक जो है, जिसको काटकर बेचा जाता है, उसका हिस्सा 15 परसेंट आता है। लेकिन हमने जब इसकी समीक्षा की तो पाया कि जितना प्रोपर एकाउन्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे जो रेल बेची जाती है, जो स्क्रैप है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका प्रोपर एकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। जो रेल की पटरी है उसका क्या वजन है यह सबको मालूम है।

तो इसमें प्रोपर एकाउंटिंग सिस्टम का कहीं न कहीं अभाव है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड एकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। हर एक डिवीजन में इसके बारे में पूरे आंकड़े होने चाहिए। जैसे कोई रेल हट गई और उसकी जगह नई रेल डाली गई तो उसको हटाकर बगल में डाल देते हैं, उसको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा करके वहां रखते हैं और जब कोई उसको आक्शन में लेता है तो वह वहां से उठाकर ले जाता है। तो इसके बारे में एक प्रोपर एकाउंटिंग सिस्टम के अभाव को मैंने महसूस किया है। इसलिए इसके लिए एक प्रोपर एकाउंटिंग सिस्टम के लिए यह फैसला हुआ है कि हर डिवीजन लेवल पर, खासकर जो रिलीज्ड रेल है, उसकी प्रोपर एकाउंटिंग होनी चाहिए कि कौनसा स्क्रैप है, कितनी नई रेलें डिवीजन में हैं, कितनी सेंकड हैंड रेल हैं, जिनका इस्तेमाल गेज कवर्जन या दूसरे कार्यों में, यार्ड वगैरह में किया जा सकता है। दूसरा हमने कहा है कि जो डिपोज हैं, जहां पर डिस्पोजल होता है, डिलीवरी होती है, वह हमारे देश में करीब 50 हैं। हमारे यहां जो वे-ब्रिजेज बने हुए हैं उनमें से कई खराब हैं और बाहर उनको तोला जाता है। जितने भी डिपो हैं वहां पर जो वे-ब्रिजेज हैं जब वे इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजेज होंगे ताकि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो और कोई ज्यादा माल उठाकर ले जा रहा है, कम दिखाकर ज्यादा माल ले जा रहा है इस प्रकार की घटनायें न हों। यानी लीकेज रुके। इसके साथ-साथ हमने यह भी तय किया है कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड से पांच अधिकारियों की एक कमेटी बने ताकि जो मैटीरियल रेलवे का रिलीज होता है, स्टोर डिपार्टमेंट, सेक्यूरिटी के लोगों, विजिलेंस के लोगों के साथ मिलकर इस पर चैक रखा जा सके, इसके लिए यह कमेटी बना रहे हैं जोकि पूरे मसले पर गौर करेगी ताकि किसी भी प्रकार से लीकेज न हो और किसी भी प्रकार से जो लीकेज हो रही है उसको रोका जाए। दूसरा जो माफिया ऑपरेशन इस मामले में होता है, उस माफिया ऑपरेशन पर कैसे काबू कर सकते हैं इन चीजों को हम एक कमेटी बनाकर देखना चाहते हैं। मेरी भी चिन्ता है। मेरा अपना ख्याल है कि स्क्रैप डिस्पोज़ल से रेलवे को कोई 950 करोड़ के करीब मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें लीकेज है। जो चैक्स वगैरह कराए गए हैं विजिलेंस ने चैक करके गड़बड़ी देखी है और गड़बड़ी देखने के बाद ऐसा लगता है कि फूल प्रूफ सिस्टम बनाने की जरूरत है। इसमें हमने यह दो कदम उठाए हैं और तीसरा एक कमेटी बनाई है ताकि डिस्पोज़ल को देख सकें।

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Sir, I have mentioned two incidents. Will the Minister take specific action so far as these two incidents are concerned?

SHRI NITISH KUMAR: As I have already said, I will inquire into the matter. The hon. Member has mentioned two specific issues,

I don't have the details about these two incidents. I will examine these two incidents. The hon. Member has mentioned two specific cases. I shall get these two cases investigated.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the mafia is working in collusion with the railway staff. Similarly, commuters are being robbed and theft is going on in the trains regularly especially in the Southern Railway which is affecting the safety of the passengers. There is a Press Report that it is being done in collusion with some railway officials and the police. I would like to know whether the Minister would take radical steps to ensure the safety and security of the passengers.

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, मूल प्रश्न का संबंध स्क्रैप डिस्पोज़ल से है। स्क्रेप के डिस्पोज़ल में जो गड़बड़ी हो रही हो या जो माफिया ऑपरेशन हो, उससे संबंधित यह सवाल है। लेकिन उन्होंने रेलवे के पेसेंजर्स की सिक्युरिटी के बारे में सवाल पूछा है। सिक्युरिटी, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। स्टेंडिंग कमेटी में भी इस पर चर्चा हुई है। हमारी कोशिश है कि कुछ मामलों में जैसे ट्रेन को एस्कोर्ट करने का अधिकार आर० पी० एफ को दिया जाए। इसके लिए कुछ कानून में संशोधन करने होंगे। इस प्रकार से जो स्टेशन परिसर हैं उसमें भी आर० पी० एफ० को कुछ अधिकार मिलना चाहिये। यह कोशिश करेंगे। बहुत सारी व्यवस्था दी गई है। मोबाइल थाने, जी० आर० पी० को स्टेशन पर थाने बनाने की छूट रहेगी। हमारे रेलवे की तरफ से मीटिंग्ज गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है उसके साथ की जाती है। यह हम सब लोगों की चिंता का विषय है। लेकिन रेलवे के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो जिसमें रेलवे का कोई कर्मचारी या अधिकारी थेफ्ट में इनवालव्ड हो, इसकी सूचना वे हमें देंगे तो हम जांच कराएंगे और कार्यवाही होगी।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, वैसे तो रेलवे में स्क्रेप केरेजेज़ से कंप्यूटर तक सब कुछ होता है और उसकी स्क्रेप की सेल होती है। सारी दुनियां नेचुरल रिसोर्सेज़ को सेव करने के लिए रिक्लेम टेक्नोलोजी पर शिफ्ट कर रही है और रेलवे में जो स्क्रैप निकलता है खास कर के स्टील, आइरन और कास्ट आइरन और कॉपर, एल्युमीनियम उसमें होता है। हमारी यह उपलब्धि है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया में रीमेल्टिंग की स्पेयर केपेसिटी है, हमारे यहां एल्युमीनियम को रीमेल्ट करने की केपेसिटी है, कॉपर को रीमेल्ट करने की केपेसिटी हिन्दुस्तान कॉपर के पास है। सरकार द्वारा इस स्क्रैप को रीमेल्ट करके फिर से नये रूप में बनाया जा सकता है। हो क्या रहा है कि स्क्रैप में लोग ले जा रहे हैं और रिकंडीशन कर के सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी कंपलेंट्स विजिलेंस डिपार्टमेंट में हैं। आप इसको रीमेल्ट करा कर, रीबिल्ट करा कर,

रीकास्ट करा कर क्यों नहीं सप्लाई लेते हैं जिसमें आपका खर्च भी कम होगा और रिक्लेम टेक्नोलोजी के तहत आप नेचुरल रिसोर्सेज़ को सेव भी कर सकेंगे। इस पर क्या कभी मंत्रालय ने ध्यान देने की कोशिश की है?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, मैंने कहा कि कई प्रकार के रिलीज़ होते हैं, स्क्रैप डिक्लेयर होते हैं, स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है और इसका फिर से इस्तेमाल होता है। अगर फिर से इतेमाल नहीं होता तो कोई स्क्रैप खरीदता ही क्यों? स्क्रैप को लोग खरीदते ही इसलिए हैं कि उसका फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं मेल्ट कर के, रीरोल कर के। रेलवे तो रेल बनाता नहीं है। रेलवे को जो जरूरत होती है उसमें से वेगंस, कोचेज़, लोकोमोटिव्ज में से व्हील, एक्सेल, रेलवे रख लेती है। स्प्रिंग वगैरह भी देख लेते हैं और जो काम की चीज़ होती है, उसको स्क्रैप में नहीं बेचते हैं।

जैसे वैगन कटिंग की हर जगह वर्कशॉप के बाहर बनी होती है। उसमें से व्हील एंड एक्सेल स्प्रिंग वगैरह यह सब नहीं दिया जाता है। वह रेलवे रख लेती है। उसको अपने हिसाब से री-साइकल या री-यूज़ कर सकती है। लेकिन बाकी जो फैरस मैटीरियल है, स्टील वगैरह है, उसको तो लोग ले ही जाते हैं और उसको फिर से मैल्ट करके उसका इस्तेमाल करते है। अब जहां तक सवाल रहा सेल के बारे में, तो इस प्रश्न पर तो मैं गया नहीं हूं कि जितने हमारे रिलीज्ड रेल हैं वे सब सेल खरीद ले। वैसे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आप कहते हैं तो हम सेल के साथ बातचीत करेंगे कि क्या आप हमारा जो सारा स्क्रैप रेल है उसको खुद लेंगे। क्योंकि हम एक रिज़र्व प्राइस घोषित करते हैं और उसके नीचे हम नहीं जाते। रिज़र्व प्राइस के ऊपर ऑक्शन होती है और जो सबसे ऊंची बोली बोलता है उसको हम देते हैं। इस प्रकार से अगर सेल के साथ में कोई टाइअप हो जैसे अभी रिज़र्व प्राइस पर आधारित ऑक्शन होने से हमें उसकी ज्यादा कीमत मिलने का फायदा होता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जबसे यह स्क्रैप का चला होगा, मुझे लगता है कि पहले जरूर कोई इस तरह की चर्चा हुई होगी। लेकिन फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए और माननीय सदस्य की बात का ध्यान रखते हुए हम सेल वालों से कहेंगे कि बात कर लें कि हमारे द्वारा निर्धारित कीमत पर क्या वे रिलीज्ड रेल ले सकते हैं।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, रेल अधिकारियों और माफियाज़ की मिली-भगत से स्क्रैप की जो खरीदारी होती है इसके संबंध में मुझे पूछना है। रेलवे के अंदर दो तरह के माफियाज़ हैं। एक तो स्क्रैप खरीदने वाले और दूसरे रेलवे की भूमि या भवनों पर अधिकार करने वाले माफियाज़ हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि माफियाज़ द्वारा रेल अधिकारियों से मिली-भगत कर रेलवे के स्क्रैप में जो गड़बड़ होती है उसके आधार पर एक

साल के अंदर कितने अधिकारी और माफिया गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए हैं? दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि रेलवे के भवन और भूमि के ऊपर रेल अधिकारियों से मिलकर कितने माफियाज़ ने कब्जा कर रखा है?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, माफियाज़ इस देश में हैं, लेकिन उनको नियंत्रित करने का कोई संवैधानिक अधिकार रेलवे के पास नहीं है, क्योंकि वह तो कानून और व्यवस्था से संबंधित मसला है। संविधान ने वह राज्य का विषय रखा है। इसलिए जहां कहीं भी इस प्रकार के लोग या तत्व होते हैं उनको टैकल करना या डील करना वह उनका काम है। इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म या तंत्र नहीं है। लेकिन हमारे स्क्रैप डिस्पोज़ल में यह शिकायत आती है कि जो माफिया ऑपरेशन है, जैसे कि वे किसी दूसरे को बोली बोलने नहीं देते, उन्हें धमका देते हैं कि यदि कोई दूसरा बोली बोलेगा तो उसकी खैर नहीं। वैसी स्थिति में यह किया जाता है कि जहां पर इस ढंग की बात मिलती है, मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे का माल है तो वहां पर नीलामी न करके कभी-कभी दिल्ली में नीलामी की जाती है ताकि माफिया का उतना इन्फ्लूएंस न रहे और वह समाप्त हो जाए। ये सब प्रयास हम लोग करते हैं। इसके बाद अगर कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्राब्लम क्रिएट होती है तो हम लोग वहां के स्थानीय प्रशासन को और पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं कि आप इसे देखिए। लेकिन समाज की जो स्थिति है वह तो आपसे भी छिपी हुई नहीं है। हमारा कंसर्न वहां तक है कि रिज़र्व प्राइस के ऊपर हमको ठीक प्राइस मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम जो स्क्रैप डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी हमको ठीक कीमत मिल रही है या नहीं और उसमें वेमेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखना हमारा काम है और इसके लिए हमने दो कदम बताए हैं। इलैक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजेज़ का और कंप्यूटराइज्ड सैन्ट्रलाइज्ड एकाउंटल सिस्टम का, इन दो चीजों का हमने निर्णय ले लिया है। तीसरी हम एक कमेटी बना रहे हैं। जो लीकेज ऑफ् रेवेन्यु इसमें है, मेरी समझ से लीकेज जरूर है। अब उस लीकेज को प्लग कैसे करें। इसके लिए दो कदम तो हमने उठाए कि यह एकाउंटल होना चाहिए और वे-ब्रिजेज़ होने चाहिए। अब कोई सात लाख रुपया वे-ब्रिज में लगेगा। 50 जगह वे-ब्रिज एस्टैब्लिश करेंगे तो साढे तीन करोड़ का खर्च आएगा और कितना लीकेज हो रहा होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि हमारे यहां जो विजिलैंस ने चैक किया है, जैसे इस साल मान लीजिए 320 चैक किए हैं। इसमें 105 जगह इरेगुलैरिटी पायी गई है। जिन रेलकर्मियों पर कार्यवाही की जा रही है उनकी संख्या 68 है, मेजर पैनल्टी प्रोसीडिंग 11 पर है, माइनर पैनल्टी प्रोसीडिंग 57 पर है, राजपत्रित अधिकारी तीन इन्वाल्व पाए गए। इस प्रकार इस साल जून तक के आपको आंकड़े दे रहे हैं। इस प्रकार से कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। इसको कैसे दुरुस्त करें इसके लिए पांच इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर्ज़ की कमेटी हम बनाने जा रहे हैं जो अकाउंट्स के हों, सेक्यूरिटी के हों, स्टोर्स के हों, इंजीनियर्स के

हों, विजीलेंस के हों। यह सब मिलकर सुझाव देंगे कि इन दो कदमों के अलावा और क्या करें जिससे लीकेज रुक सके और स्क्रैप से और ज्यादा पैसा आ रहा है, उससे और ज्यादा पैसा आ सकता है। इसलिए हम ने यह कदम उठाए हैं।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, to the question raised by the hon. Member, Shri S. S. Ahluwalia, only one part of the question is being replied to by the hon. Minister. The question consists of two parts. One is regarding the recycling process and the other is value addition. The hon. Minister has said that scrap is a goods declared by the Railways as unusable, after having gone through the recycling process.

I want to know from the hon. Minister whether you can convert the unusable material into a value-added product. For that, he has given the example of melting and separating copper, lead, iron and steel.

With my limited technical knowledge, I say, if the Railways establish rerolling mills, utilising the unusable material as the raw material, it can be converted into a value-added product. I would like to know whether the Government would give us an assurance to this august House that the Government would take the unused material and use it to make value-added products. I would like to know whether there is any proposal with the Government. If not, would the Government consider this and see to it that this is converted into a value-added product instead of selling it as scrap in the market at less value.

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, रेलवे का यह बुनियादी काम नहीं है। अभी तो बात चल रही है कि सारे नॉन-कोर एक्टिविटीज को फ्लोट किया जाए। फिर देश में पूरी इकॉनोमिक एक्टिविटी जो हमारा स्क्रैप लेती है, उस पर काम करती है, वैल्यू एड करती है और पैसा कमाती है। अगर रेलवे वह सारा काम खुद करेगी तो अभी जो यात्री ढोने और माल ढोने के काम में ही इतनी कठिनाई आ रही है, फिर वह कौन करेगा? उसके लिए कौन-सा सिस्टम डवलप किया जाएगा? रेलवे कहां से उसमें कॉम्पीट कर पाएगी? सिर्फ अपने स्क्रैप को रिवॉल्व करने के लिये या अपने स्क्रैप को वैल्यू एड करने के लिए रेलवे खुद काम करे, इसमें मुझे कुछ वित्तीय समझदारी नहीं दिखाई देती है।

श्री जीवन राय: मंत्री जी, एम०एस०टी०सी० एक पब्लिक सैक्टर संस्था है जिसका काम ही

स्क्रैप रिकवरी का है। मंत्री जी, हिंदुस्तान में तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन उन को नहीं मिलते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले वहां गया था। मैंने कहा कि आप ऐसा टेंडर दो जिसमें आप ज्यादा रुपया रेलवे को दोगे, तब टेंडर मिल जाएगा।

Please understand what is happening. सर, एम० एस० टी० सी० पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, लेकिन उसको स्क्रैप रिकवरी का ऑर्डर नहीं मिलता है और माफिया लोगों को मिलता है। अगर आप हिसाब-किताब देखें तो पर यूनिट रिजर्व कॉस्ट आपको मिल जाती है, लेकिन जो सामान बाहर निकाला जाता है, उसका आप को आधा पैसा नहीं मिलता है क्योंकि रेट ऐसा होता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या एम० एस० टी० सी० को स्क्रैप रिकवरी का ऑर्डर मिलेगा?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, मैंने खुद स्वीकार किया कि मुझे लगता है लीकेज है और मैंने इसकी समीक्षा की है, विजीलेंस चैक हुई है। उसमें गड़बड़ी पाई गई है उस पर हम दो एक्शन ले चुके हैं ...(**व्यवधान**)... When you put a question, have the patience to listen. अब जहां तक सवाल है कि ऑक्शन ये करते हैं और रिज़र्व प्राइस के ऊपर माल देते हैं। इस ऑक्शन में मान्यवर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ...(**व्यवधान**)... इसके बाद भी हमने कहा है कि हम जो कमेटी बना रहे हैं, वह इसके सारे आस्पेक्ट्स में जाएगी कि कैसे इसके लीकेज को रोका जाए।

श्री जीवन राय: अभी तक MSTC को मिलता नहीं है, वह पब्लिक सैक्टर कंपनी है, माफिया के लोगों को मिलता है ...(**व्यवधान**)...

श्री नीतीश कुमार: अब देखिए ना जो MSTC आपका है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय: हमारा नहीं, आपका है।

श्री नीतीश कुमार: मुझे अभी बताया गया है कि MSTC का टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है और हमारा स्क्रैप करीब हजार करोड़ रुपए का है। तो सारा स्क्रैप एक एजेंसी उठा सकती है क्या? हमारे स्क्रैप की डिलीवरी के सेंटर्स देश भर में फैले हुए हैं। इसीलिए यह सिस्टम है कि हम ऑक्शन करके बेचते हैं लेकिन अगर इसमें कहीं कमी है और लीकेज को कैसे दूर किया जाए, इससे ज्यादा आमदनी कैसे हो, कैसे माफिया के प्रभाव को घटाया जा सकता है, इन सब बातों पर ...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय: ऑक्शन में जो रेट देते हैं ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.